फार्म अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

विनीता आदि बनाम सुरेन्द्र कुमार व अन्य

किस्म मुकदमा:–212 आर.टी.ए. प्रकरण संख्या:–54/2019

RCMS No. 2019/00151

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.03.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि अप्रार्थी संख्या–1, प्रार्थीगण का पिता है। अप्रार्थी संख्या–01 के नाम से वाके चक 1 जी0एम0डी0 के खाता संख्या 8/31 के पत्थर नं. 73/323 (36) का किला नं. 2 ता 9, 13 ता 15 की 2.176 हैक्टर कमाण्ड भूमि में 1/4 हिस्सा यानि 0.544 हैक्टर भूमि तथा चक 23 एस.टी. बी. के खाता संख्या 18/17 के पत्थर नं. 59/360 (90) के किला नं. 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 की 3.795 हैक्टर भूमि में 1/4 हिस्सा यानि 0.949 हैक्टर भूमि इस प्रकार दोनों चकों में कुल 1.493 हैक्टर भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त रकबा पूर्व में प्रार्थीगण के दादा बगड़ावतराम पुत्र रामूराम जाति बिश्नोई साकिन घमण्डिया के नाम से दर्ज था। इसलिये जैरवाद रकबा अप्रार्थी संख्या–01 को विरास्तन प्राप्त है। जिसमें प्रार्थीगण का जन्म से ही हक व हिस्सा निहित है। प्रार्थीगण अपनी माता के पास रहते है। अप्रार्थी संख्या–1, प्रार्थीगण के साथ नही रहता है। आदतन नशा करता है तथा प्रार्थीगण की माता से झगडा करता हैं। अप्रार्थी संख्या–01 ने कहा है कि वह उक्त जैरवाद रकबा को बेचान कर देगा। यदि अप्रार्थी संख्या–01 ने जैरवाद रकबा का बेचान अन्य किसी को कर दिया तो प्रार्थीगण को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पूर्व में दिनांक 24.12.2019 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को वाद पत्र के निर्णय तक स्थाई किया जावें। वकील अप्रार्थी संख्या–01 ने मौखिक कथन किया कि उक्त रकबा में प्रार्थीगण का कोई हक व हिस्सा नही बनता है। प्रार्थना पत्र आधारहीन कथनों के आधार पर प्रस्तुत किया हुआ है। प्रार्थन पत्र निरस्त किया जावें। वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 02 में अंकित रकबा पूर्व में अप्रार्थी संख्या–01 के पिता बगड़ावत के नाम से अंकित था, यह प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी छायाप्रति से स्पष्ट है। उक्त रकबा चक 1 जीडीएम इन्तकाल संख्या 83 दिनांक 03.01.2008 तथा चक 23 एसटीबी इन्तकाल संख्या 295 दिनांक 03.01.2008 से जरिये विरास्तन इन्तकाल दर्ज हुआ है। इससे स्पष्ट है कि उक्त रकबा पैतृक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या–01 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा वाद पत्र के निर्णय तक पाबन्द किया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र के मद संख्या–01 में अंकित तहसील सूरतगढ़ के वाके चक 1 जी0एम0डी0 के खाता संख्या 8/31 के पत्थर नं. 73/323 (36) के किला नं. 2 ता 9, 13 ता 15 की 2.176 हैक्टर कमाण्ड भूमि में 1/4 हिस्सा यानि 0.544 हैक्टर भूमि तथा चक 23 एस0टी0बी0 के खाता संख्या 18/17 के पत्थर नं. 59/360 (90) के किला नं. 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 की 3.795 हैक्टर भूमि में 1/4 हिस्सा यानि 0.949 हैक्टर भूमि इस प्रकार दोनों चकों में कुल 1.493 हैक्टर भूमि में से 2/3 हिस्सा भूमि के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। रहन बैय एवं हस्तान्तरण ना करें। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 03.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.03.07 17:43:07 IST
Reason: SelfAttested

(सन्दीप कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)